न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 145 / 2022 दायर दिनांक–27.10.2022

1. राकेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति कुमावत निवासी रामपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– आवेदक

– :: बनाम ::–

1. अमरचंद पुत्र महावीर प्रसाद
2. छोटी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति गुर्जर निवासी रामपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़।
3. जमनी देवी पत्नी बाबूलाल
4. दामोदर प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद
5. बबलेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद
6. रणजीत कुमार पुत्र बदरी प्रसाद
7. विनोद कुमार पुत्र महावीर प्रसाद समस्त जाति कुमावत निवासी रामपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9. माया देवी पत्नी सुरेश कुमार
10. राकेश कुमार मारवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद
11. कविता देवी पत्नी मनोज कुमार समस्त जाति कुमावत निवासी रामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील अनावेदक :– श्री दयाराम सैनी

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक–14.02.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :–राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047 / 481 रकबा 1.3667 है0 स्थित है। उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 की शामलाती खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि में आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दर्जशुदा है। आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त निर्बाध रूप से करते आ रहे है। उक्त भूमि शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है जिसका आज तक मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा नही हुआ है।

उक्त शामलाती भूमि को मौखिक तौर पर अपने हिस्से अनुसार मौके पर बांट रखा है। उक्त भूमि पर आवेदक व अनावेदकगण अविभाजित भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अतः उक्त भूमि को मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर बमुजिब कब्जा काश्त नक्शे व खसरे में अंकित किया जाकर लगान की फाकबंदी करके जमाबंदी में दर्ज किया जाना आवश्यक है तथा शामलाती भूमि में सभी खातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर विभाजन किया जावे।

अतः वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन करवाये [illegible] अनावेदक संख्या 1 लगातय 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आवेदक के कब्जे [illegible] एवं [illegible]योग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें तथा आवेदक की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा [illegible] नही करें। तथा विधिवत रूप से विभाजन होने तक उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मा[illegible] भी आवेदक के पक्ष में [illegible] अनावेदकगण आवेदक के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करेंगे तो आवेदक को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी रूप मे संभव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:22:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 है0 भूमि के संबध में अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 को इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जब तक विधिवत विभाजन नही हो जाता उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 09 लगायत 11 की ओर से वकील श्री दयाराम सैनी उपस्थित न्यायालय आये। तथा अनावेदकगण ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :–यह सही है कि रामपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 स्थित है। आवेदक का यह कथन गलत है कि उक्त भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 की शामलाती कृषि भूमि है। आवेदक व उसके भाई अनावेदक दामोदर प्रसाद ने अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि को छोटे छोटे भूखण्ड बनाकर अन्य क्रेताओं को विक्रय करके उनको कब्जा सम्भला दिया जिस पर केता काबिज है। आवेदक का उक्त भूमि पर उसके बताये अनुसार हिससे पर कब्जा नही है सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड मे नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। जिसके आधार पर झुठा प्रार्थना पत्र जबाबदेहन्दा को परेशान करने के लिए व उन्हे उनके क्रयशुदा भूखण्ड से बेदखल करेन के लिए पेश किया है।

आवेदक का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है जो जबाबदेहन्दा ने प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित किया है। इसलिए बिना कब्जे काश्त के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नही है।

अतिरिक्त उत्तर

उक्त विवादग्रस्त भूमि जिसके संबंध में उपरोक्त प्रार्थना पत्र आवेदक ने पेश कर रखा है। आवेदक ने उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करने के बाद बिना उन क्रेताओं को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पक्षकार बनाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा बिना कब्जे काश्त व बिना हक अधिकार के उक्त दावे में विभाजन की सहायता चाही है तथा जबाबदेहन्दा को विक्रय करने के बाद उनके हिस्से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे दर्शाये बिना ही व अपना हिस्सा गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर दर्शाकर उक्त भूमि पर स्थगन आदेश ले रखा है। उपरोक्त वर्णित भूमि में आवेदक ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 241287/1366700 में से भूमि क्षैत्रफल 297.40 वर्गमीटर अर्थात 0.0297 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2022 को जबाबदेहन्दा माया देवी को विक्रय कर दिया तथा उसी रोज जबाबदेहन्दा माया देवी को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर जबाबदेहन्दा माया देवी क्रय के रोज से काबिज है तथा जबाबदेहन्दा के हक अधिकार व कब्जे काश्त की भूमि है तथा उक्त विवादित भूमि में से अनावेदक दामोदर प्रसाद ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 352787/1366700 में से क्षैत्रफल 401.48 वर्गमीटर अर्थात 0.0401 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2020 के जबाबदेहंदा राकेश कुमार मारवाल को विक्रय कर दिया तथा उसी रोज जबाबदेहंदा राकेश कमार मारवाल को कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर जबाबदेहन्दा काबिज है तथा अनावेदक दामोदर प्रसाद ने अपने नाम दर्ज हिस्सा 1/5 मे से भूमि 200.74 वर्गमीटर अर्थात 0.0201 है0 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.01.2019 को जबाबदेहंदा कविता देवी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिस पर जबाबदेहन्दा काबिज है। जो जबाबदेहन्दा की कब्जे काश्त व हक अधिकार की भूमि है। उपरोक्त भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक ने न्यायालय को मुगालते में रखते हुए बिना कब्जे काश्त व बिना उक्त क्रेताओं को पक्षकार बनाये बिना व गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उक्त स्थगन आदेश जबाबदेहन्दा को परेशान करने तथा अपने कब्जेशुदा व क्रयशुदा भूमि में निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए प्राप्त किया है। जब आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है और नही उतने हिस्से का खातेदार आवेदक है तो आवेदक का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नही है । आवेदक का प्रार्थना पत्र कानून विरूद्व है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:22:59 IST
Reason: SelfAttested

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आ[illegible]ना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पेश होने पर बहस [illegible] ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की [illegible] राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 है0 स्थित है उक्त भूमि शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक विधिवत विभाजन नही हुआ है अतः जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब तक अनावेदकगण उक्त भूमि को विक्रय करके व अन्य किसी प्रकार से

उ.खंड.एम. (फा.ई.)
[illegible]

...तरित करके खुर्द–बुर्द नही करें व उक्त आराजी में तादौराने दावा आवेदक की भूमि को वेस्ट व डैमेज नही करे। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा स्थगन आदेश को कंफर्म किया जावे।

वकील अनावेदक ने बहस वकील आवेदक का विरोध प्रकट करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अनावेदक संख्या 09 लगायत 11 द्वारा उक्त भूमि से आवेदक व आवेदक के भाई से क्रमशः 0.297, 0.0401, 0.0201 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तथा क्रयशुदा भूमि पर अनावेदकगण 09 लगायत 11 का कब्जा है। अतः अनावेदकगण संख्या 09 लगायत 11 को अपने क्रयशुदा व हक हिस्से की भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नही है। अतः उक्त भूमि पर जारी अंतरिम स्थगन आदेश तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस एवं प्रस्तुत नजीर पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 है0 भूमि अवस्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2075–78 के अनुसार आवेदक व अनावेदकगण की कब्जे काश्त की शामलाती अविभाजित भूमि है। उपरोक्त आराजियात में आवेदक व अनावेदकगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है, जिसमें सभी का शामलाती रूप से भूमि में हिस्सा है तथा हिस्सेनुसार ही कब्जा काश्त है। अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा में कथन किया गया है कि उक्त भूमि में से सम्पूर्ण हिस्सा क्रय नही कर आंशिक हिस्सा उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में भी शामलाती खातेदारी में दर्ज है तथा अनावेदकगण द्वारा उक्त शामलाती भूमि के कौनसे विशेष हिस्से को क्रय किया गया है उसके संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त भूमि शामलाती दर्ज रिकॉर्ड है। फलस्वरूप विवादग्रस्त भूमि मे आवेदक एव अनावेदकगण संयुक्त खातेदार काश्तकार एवं आवेदक का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है

1. **सुविधा का संतुलन :–** बिन्दु संख्या 1 में विवादग्रस्त भूमि अविभाजित संयुक्त खातेदारी की होने एवं कब्जा काश्त आवेदक का होने पर प्रथम दृष्टया मामला आवेदक के पक्ष मे होने के कारण सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष बनता है।
2. **अपूरणीय क्षति :–** उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में होने से तथा आवेदक विवादग्रस्त भूमि में आवेदक के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदक पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1047/481 रकबा 1.3667 है0 भूमि के मौके की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 27.10.2022 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:22:59 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
... नवलगढ़